2018/00026

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) [illegible] जिला [illegible]

बनाम श्री [illegible]

विषय सुनवाई — [illegible]

एल. आर. एक्ट [illegible] की धारा [illegible]

सुनवाई तारीख 18/16 वर्ष 2018 कमांक [illegible]

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की तारीख
22/1/18	पटवारी हल्का [illegible] की रिपोर्ट पर पत्रावली सुनवाई की गई। मुताबिक रिपोर्ट आवेदक ने ग्राम/चक [illegible] के खसरा नं./कुनबा [illegible] [illegible] पटवारी [illegible] सीमा [illegible] राजकीय भूमि पर खसरा [illegible] में नाजायज कब्जा कर [illegible] कर ली। आवेदक को धारा [illegible] के तहत नोटिस जारी किया जावे [illegible] निरीक्षण [illegible] हेतु नियत पत्रावली आईंदा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।	
8/2/18	पत्रावली पेश हुई। [illegible] द्वारा प्रस्तुत किये गये [illegible] को [illegible] किया गया। [illegible] के लिये [illegible] किया गया।	तहसीलदार

घ. सीमांकन के लिए 107 के तहत 18 पर मांग रखा की गयी।

[illegible]
13/4/18

Scanned by CamScanner

नायब

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 18 / 2018 दिनांक 8/2/18

निर्णय

[illegible] हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने रिपोर्ट (सी.ए.) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 के बीर सायरे [illegible] जाति [illegible] [illegible] ने ग्राम [illegible] के खसरा नं. [illegible] मौजा जोधड़ भूगुतन भोबर सारणाड़ राजकीय भूमि के [illegible] पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

[illegible]

[illegible] 8/2/18